(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित)**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 172 **नई दिल्ली**, 12 जुलाई, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, पत्तन क्षेत्र में टी0वी0 और टेलीफोन केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार के निर्धारण हेतु कोचीन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/11/2008–सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास ——— आवेदक

आदेश
(जून, 2010 के 16वें दिन पारित)

यह मामला टी0वी0 और टेलीफोन केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार हेतु प्रभार निर्धारित करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. सीओपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं:–

(i). जनवरी 2007 में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान में टी0वी0 केबल बिछाने के लिए पृथक मार्गाधिकार प्रभार निर्धारित नहीं किए गए थे। उसके मद्देनजर, टी0वी0 केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार प्रभार तेल पाइपलाइन बिछाने के लिए निर्धारित दरों पर वसूल किए गए थे।

(ii). मै0 एसआर केबल विज़, विलिंग्डन आइलैंड में कार्य करने वाले केबल ऑपरेटरों में से एक, ने विलिंग्डन आइलैंड में केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार की वसूली को चुनौती देते हुए माननीय केरल उच्च न्यायालय में सीओपीटी के विरूद्ध रिट याचिका दाखिल की थीं।

(iii). माननीय केरल उच्च न्यायालय ने, दिनांक 19 जून 2007 के अपने संयुक्त निर्णय में, रिट याचिकाओं का निपटान किया है और सीओपीटी को निदेश दिया है कि केबल टी0वी0 नेटवर्क कनेक्शन में सभी प्रकार की सेवाओं के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 और 50 के अनुसार एकसमान प्रशुल्क का निर्णय लिया जाए।

(iv). कोचीन निगम केबल टी0वी और टेलीफोन ऑपरेटरों से उनकी तारे बिछाने के लिए भूमि/निगम क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए रु0 3500/– (लगभग) प्रति किलोमीटर अथवा उसका भाग किराये के रूप में वसूल करता है। मार्गाधिकार प्रभारों का प्रस्ताव करने के लिए सुविचारित आधार को प्रमाणित करने के लिए हमारे प्रश्न के प्रतिसाद में, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि कोचीन निगम द्वारा प्रभारित दर मौखिक रूप से प्राप्त की गई थी।

2.2. तदनुसार, सीओपीटी ने टी0वी0 केबल और टेलीफोन केबल बिछाने के लिए किराये के रूप में निम्नलिखित दरों और शर्तों का प्रस्ताव किया है:–

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	रु0
1.	केबल टी0वी0 लाइनों के लिए	प्रति किलोमीटर अथवा उसका भाग प्रतिवर्ष	4000/-
2.	टेलीफोन केबल लाइनों के लिए	प्रति किलोमीटर अथवा उसका भाग प्रतिवर्ष	5000/-

टिप्पणियाँ:

(i). 2 प्रतिशत की स्वचालित वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में इस दर पर लागू होगी।

(ii). प्रस्तावित दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी और वर्तमान प्रचालकों से अपेक्षा की जाती है कि उस तारीख से प्रस्तावित दरों का भुगतान करें जब सीओपीटी के साथ करार किया गया है।

3.1. इस प्राधिकरण ने विभिन्न आदेशों के माध्यम से निर्णय दिया है कि मार्गाधिकार प्रभार महापत्तनों की तत्संबंधी भूमि के लिए लागू पट्टा किराये के बराबर निर्धारित किया जाए। प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं है कि पत्तन ने प्रस्तावित मार्गाधिकार प्रभारों पर पहुंचने के लिए भूमि नीति पर सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है अथवा नहीं। पत्तन को सलाह दी गई थी कि दिशानिर्देशों में अपेक्षित छूट, यदि कोई हो, दर्शाएं। चूंकि पत्तन न्यासों को अधिकतम स्तर पर दर प्रचालित करने का अधिकार है, इसलिए सीओपीटी से यह जांच अनुरोध भी किया गया था कि क्या यह प्रावधान संदर्भित मामले में लागू किया जा सकता है।

3.2. सीओपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर कोई सटीक जवाब नहीं भेजा है। सीओपीटी ने हमारे अनुरोध पर अपने पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2008 द्वारा पत्तन द्वारा एकत्रित मार्गाधिकार प्रभारों को चुनौती देते हुए एस एंड आर केबल विज़न द्वारा दाखिल की गई रिट याचिकाओं की प्रति और रिट याचिकाओं का निपटान करते हुए केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति अग्रेषित की है। उच्च न्यायालय आदेश में दिए गए प्रासंगिक निदेश नीचे दिए गए हैं:–

(i). कोचीन पत्तन न्यास के प्राधिकारी धारा 49 और 50 के अधीन केबल टी0वी0 नेटवर्क के लिए दरें निर्धाथ्रित करें।

(ii). कोचीन पत्तन न्यास को निदेश दिया गया है कि केबल टी0वी0 नेटवर्क के संबंध में सभी प्रकार की सेवाओं के लिए धारा 49 के अनुसार प्रशुल्क निर्धारित किए जाए और याचिकाकर्ता और अन्य प्रचालकों से इसकी मांग की जाए। रिट याचिकाओं का तदनुसार यह निदेश देते हुए निपटान किया गया है कि कोचीन पत्तन न्यास अपनी अगली बैठक में यथा निदेश उपर्युक्त धाराओं 49 और 50 के अधीन प्रशुल्क दरों का निर्णय करे।

(iii). याचिकाकर्ता के आरोप के मद्देनजर, कोचीन पत्तन न्यास अन्य प्रचालकों को निःशुल्क सुविधा दी जाती है, कोचीन पत्तन न्यास को निदेश दिया जाएगा कि प्रत्येक केवल टी0वी0 प्रचालक के लिए एकसमान प्रशुल्क निर्धारित किया जाए ताकि प्रत्येक को समान हो।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीओपीटी का प्रस्ताव उपयोक्ता संगठनों और सीओपीटी द्वारा यथा अग्रेषित उपयोक्ताओं को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। सीओपीटी ने, संयुक्त सुनवाई में हमारी सलाह के बाद, उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी अभ्युक्तियां भेजी हैं।

5.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 20 अप्रैल 2009 को सीओपीटी में आयोजित की गई थी।

5.2. संयुक्त सुनवाई में, सीओपीटी को मै0 भारत संचार निगम लिमिटेड, मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड और मै0 एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशन (प्रा0) लिमिटेड द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और अपनी टिप्पणियां भेजने की सलाह दी गई थी। सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 9 नवम्बर 2009 द्वारा उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपने जवाब भेजे थे।

6. इस मामले में, कार्यवाही संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारे वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की समग्र सूचना के आधार पर, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः–

(i). माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19 जून 2007 में निर्णय दिया था कि पत्तन भूमि के माध्यम से और पत्तन न्यास की संपत्तियों पर उपलब्ध सभी सुविधाएं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 और 50 के अधीन निर्धारित प्रावधानों के अधीन है। केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 और 50 में निर्धारित सांविधिक प्रावधानों के अनुसार पत्तन टी0वी0 केबल ऑपरेटरों से प्रभार वसूल करने का हकदार है। इस प्रकार, टी0वी0 केबल ऑपरेटरों से लेवी प्रभार वसूल करने की पत्तन की सक्षमता पर कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार, इस प्राधिकरण के समक्ष मामला इसे एकसमान रूप से लागू करने के लिए टी0वी0 केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार प्रभार की मात्रा निर्धारित करने के लिए विनिहित है। माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 19 जून 2007 केवल टी0वी0 केबल से संबंधित है और इसमें टेलीफोन केबल का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, सीओपीटी ने अपने प्रस्ताव में टेलीफोन केबल के लिए भी मार्गाधिकार प्रभारों को शामिल किया है।

(ii). पत्तन ने टी0वी0 केबल लाइनों के लिए रु0 4000/– प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष का मार्गाधिकार शुल्क प्रस्तावित किया है जोकि पड़ोसी क्षेत्र में टी0वी0 केबल ऑपरेटरों से कोचीन नगर निगम द्वारा एकत्रित प्रभारों से रु0 500/– ज्यादा है।

इस प्राधिकरण ने विभिन्न आदेश के माध्यम से निर्णय दिया है कि मार्गाधिकार प्रभार महापत्तनों की तत्संबंधित भूमि के लिए लागू पट्टा किरायों के बराबर निर्धारित किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, मार्गाधिकार प्रभारों की वसूली के लिए सीओपीटी द्वारा मांगा गया अनुमोदन टी0वी0 केबल लाइनों के लिए है जो भूतल से ऊपर ले जाई जाती हैं और मुख्यतः बिजली खभ्भों के माध्यम से। जैसाकि केबल ऑपरेटरों में से एक ने सही कहा है कि वे पत्तन की भूमि के किसी भी हिस्से का प्रत्यक्ष रूप से अभिग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में, ऊपरी टी0वी0 केबल के लिए मार्गाधिकार प्रभार निर्धारित करने के लिए पत्तन की भूमि का बाजार मूल्य लागू करना पूर्णतः प्रासंगिक नहीं हो सकता। यदि भूमि का बाजार मूल्य लागू किया जाता है तो दर पत्तन द्वारा प्रस्तावित दर से अधिक परिगणित होगी।

चूंकि पत्तन का प्रस्ताव पत्तन क्षेत्र में ऊपरी केबल बिछाने के लिए टी0वी0 केबल ऑपरेटरों को अनुमति प्रदान करने के लिए शुल्क वसूल करने के लिए है, इसलिए यह संभव नहीं होगा कि किसी लागत के संदर्भ में टी0वी0 केबल लाइनों के लिए प्रभार निर्धारित किए जाएं।

पत्तन ने बताया है कि पत्तन क्षेत्र के निकट प्रचालन करने वाला नगर निगम केबल टी0वी0 ऑपरेटरों से किराये के रूप में लगभग रु0 3500/– प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष वसूल करता है। हालांकि पत्तन ने इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं किया है, परंतु इस मामले में जिन टी0वी0 केबल ऑपरेटरों से विचार–विमर्श किया गया था उन्होंने पत्तन द्वारा प्रतिवेदित रु0 3500/– प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष के आंकड़ों का विरोध किया है। स्वीकार करते हुए कि कोचीन नगर निगम के पास उसके न्यायाधिकार में बड़ा क्षेत्र होगा, कोचीन नगर निगम द्वारा एकत्रित दर कोचीन पत्तन न्यास क्षेत्रों में टी0वी0 केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार प्रभार निर्धारित करने के लिए तलचिह्न है।

तथ्य पर विचार करते हुए कि यह केवल एक विविध प्रशुल्क मद है, अनुमोदित प्रशुल्क से अतिरिक्त आय महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

(iii). मै0 एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशन लिमिटेड (एएससीएल) ने उल्लिखित किया है कि पत्तन उनसे खम्भा प्रभार वसूल करे। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जनवरी 2007 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पूर्व–संशोधित दरमान और हाल ही में 23 फरवरी 2010 को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान ऐसी कोई प्रशुल्क मद निर्धारित नहीं करता है। उसकी टिप्पणी खम्भों के लिए प्रभार वसूली और दोबारा, ऊपरी केबल के लिए मार्गाधिकार दोगुना बोझ है।

मै0 एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशन लिमिटेड ने भी सूचित किया है कि उन्होंने कोचीन नगर निगम द्वारा एकत्रित किए जाने के लिए प्रस्तावित रु0 3500/– की वसूली के संदर्भ में रिट याचिका दाखिल की है और उच्च न्यायालय ने ऐसी लेवी पर रोक लगाई है। यह प्राधिकरण टी0वी0 ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किए गए ऐसे वैयक्तिक वादों पर नहीं जाना चाहता है। इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गाधिकार प्रभार पत्तन द्वारा एकसमान रूप से लागू करने के लिए है। यदि पत्तन खम्भों और मार्गाधिकार प्रभारों दोनों के लिए प्रभार वसूल करने का निर्णय लेता है तो वह ऐसा मै0 एशियानेट सेटेलाइट कम्यूनिकेशन लिमिटेड द्वारा दाखिल किए गए मामले में उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार ही कर सकता है।

कुछ टी0वी0 केबल ऑपरेटरों ने यह उद्धरित करते हुए मार्गाधिकार प्रभारों की वसूली से छूट मांगी है कि वे पत्तन कर्मचारियों को टी0वी0 केबल अंशदान प्रभारों में रियायत का ऑफर देते हैं। उपयोक्ताओं द्वारा दी गई टिप्पणियां विचाराधीन नहीं हैं क्योंकि प्राधिकरण द्वारा की गई वर्तमान कार्यवाही ऊपरी टी0वी0 केबल के लिए एकसमान दर निर्धारित करने के लिए है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर अधिकतम स्तर है।

(iv). टेलीफोन केबल लाइनों पर मार्गाधिकार प्रभारों की वसूली के लिए पत्तन का प्रस्ताव के संबंध में, मै0 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड दोनों की ओर से जबरदस्त आपत्तियां रही हैं। मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड ने बताया है कि वे इंडिया टेलीग्राफ एक्ट, 1985 द्द्वारा शासित किए जाते हैं और ऐसी लाइनें बिछाने के लिए उनके पास लाइसेंस है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि उन्हें प्रदान किया गया लाइसेंस उन्हें भूमिगत केबल बिछाने की अनुमति देता है और कि केरल सरकार ने उन्हें अगले पन्द्रह वर्षों के लिए मार्गाधिकार प्रभार के भुगतान से छूट दी हुई है। बीएसएनएल और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड दोनों ने निवेदन किया है कि वे देश में कहीं भी ऐसा किराया प्रभार अदा नहीं करते हैं। बीएसएनएल ने कोचीन नगर निगम द्वारा ऐसी वसूली अधिरोपित करने के बारे में प्रस्ताव में पत्तन द्वारा किए गए दावा को भी नकार दिया है। सीओपीटी ने बीएसएनएल और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड द्वारा किए गए निवेदनों को न तो स्पष्ट किया है और न ही विरोध किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्तन क्षेत्र के भीतर केबल डालने के लिए मार्गाधिकार प्रभार की वसूली के लिए पत्तन हकदार है। परन्तु वर्तमान मामले में चूंकि बीएसएनएल और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड ने दावा किया है कि वे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट द्वारा शासित किए जाते हैं और सरकार के साथ पृथक लाइसेंस करार की मौजूदगी और वे देश में कहीं भी ऐसा किराया अदा नहीं करे हैं के बारे में, उनके मामले में उठने वाले विधिक मुद्दे को प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था पर विचार करने से पहले पत्तन को संबोधित करने की आवश्यकता है। पत्तन को निदेश दिया जाता है कि वह बीएसएनएल और मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करें और तब पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत करें, यदि आवश्यक हो।

(v). सीओपीटी ने प्रस्तावित मार्गाधिकार प्रभारों में 2 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की मांग की है। भूमि नीति पर मार्च 2004 के सरकार दिशानिर्देश पट्टा किराये में 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि निर्धारित करते हैं। ऐसी वार्षिक वृद्धि वहां लागू होगी जहां पट्टा किराया भूमि नीति दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए निर्धारित किया जाता है। वर्तमान मामले में, भूमि का बाजार मूल्य प्रभार के निर्धारण के लिए सुविचारित नहीं किया जाता है और इसलिए वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(vi). सीओपीटी ने वर्तमान प्रस्ताव में दरों का अनुमोदन उस तारीख से पूर्वव्यापी मांगा है जब ऑपरेटरों ने पत्तन के साथ करार किया था। तत्पश्चात, सीओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 9 नवम्बर 2009 द्वारा सूचित किया है कि पत्तन ने अपने परिपत्र दिनांक 30 जून 2008 के आधार पर 29 फरवरी 2008 से तदर्थ आधार पर प्रस्तावित मार्गाधिकार प्रभार को कार्यान्वित किया है। सीओपीटी द्वारा तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दर का कार्यान्वयन प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.4 के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतिम दर सामान्यतः केवल भावी प्रभाव से होगी।

(vii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 3 वर्षों का प्रशुल्क वैधता चक्र विनिर्दिष्ट करते हैं। यह उपयुक्त पाया गया है कि कोचीन पत्तन न्यास के इसके दरमान में निर्धारित अन्य प्रशुल्क मदों की अगली समीक्षा के समय इस प्रशुल्क मद की समीक्षा की जाए। इसलिए, टी0वी0 केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार प्रभार की वैधता 7 अप्रैल 2010 को अधिसूचित किए गए कोचीन पत्तन न्यास के संशोधित दरमान की वैधता के साथ इसे जोड़ने के लिए 31 मार्च 2012 तक निर्धारित की गई है।

8. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण अध्याय–VI विविध प्रभार के अधीन अनुसूची 6.16 शामिल करते हुए सीओपीटी के दरमान को संशोधित करता है जोकि निम्नवत् हैः–

"6.16. टी0वी0 केबल लाइनों के लिए मार्गाधिकार प्रभार

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	रु0
1.	केबल टी0वी0 लाइनों के लिए	प्रति किलोमीटर अथवा उसका भाग प्रतिवर्ष	3500/-

(रानी जाधव)
अध्यक्षा